न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध प्रकरण संख्या 89/2026

(GCMS: 2026/175)

रामप्रताप पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी 20 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

स्टेट जरिये जिलाधीश, श्रीगंगानगर

22.05.2026

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने विभिन्न न्यायालयों द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 19.01.2026 की पालना में प्रकरण में सुनवाई करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

मैनें, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र एवं निर्णयों का अवलोकन किया तो पाया कि अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 03.05.2024 से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज कर, पुनर्वास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष दावा पेश करने के निर्देश दिये था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 19.01.2026 में अपना मत दिया है कि "the present petition has been filed at a premature stage, as there has been no non-compliance order, placed on record." और प्रकरण को 30 दिवस में निस्तारित करने के निर्देश दिये है।

विवादित भूमि पर अधिकारिता तय करने का क्षेत्राधिकारी पुनर्वास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को है, इसलिए अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 03.05.2024 से प्रार्थी का प्रकरण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज कर दिया था। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की पालना हेतु, पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकारी पुनर्वास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दर्ज रजिस्टर कर, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किया जाता है। मूल पत्रावली पुनर्वास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।।

यह आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर